प्रदेश में 500 नए स्टार्टअप खड़ा करेगा फंड ऑफ फंड्स

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य है। यूपी स्टार्टअप नीति के तहत 13,370 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें 6800 से अधिक स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं। आम बजट 2025-26 में स्टार्टअप फंड के रूप में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान उत्तर प्रदेश में 500 नए स्टार्टअप को जन्म देगा।

स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अनुसार, जनवरी 2016 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ और एमएनआईटी के मार्गदर्शन में 23 जिलों में 65 से अधिक इनक्यूबेटरों में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। एआई, ड्रोन तकनीक में उत्कृष्टता के सात केंद्र आईटी, एग्रीटेक, हेल्थटेक, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और फिनटेक में प्रगति को रफ्तार दे रहे हैं।

स्टार्टअप फंड से प्रदेश के स्टार्टअप उत्तर प्रदेश की 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएंगे। स्टार्टअप्स रोजगार सृजन, नवाचार और यूपी को उद्यमशीलता के केंद्र में बदलने में योगदान देंगे, जिससे हर जिले को लाभ मिलेगा।

बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए एक नए फंड ऑफ फंड्स की घोषणा से प्रदेश के उभरते उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष शामिल है।

दूसरा एलान आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के तहत स्टार्टअप्स को मिलने वाले लाभों को पांच साल तक बढ़ाया जाएगा, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2030 से पहले शुरू हुए योग्य स्टार्टअप्स को मिलेगा। धारा 80-आईएसी पात्र स्टार्टअप्स को किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 फीसदी कर छूट का दावा करने की अनुमति देती है।

पंजीकृत स्टार्टअप्स इस कर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी हों और उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से कम हो। प्रदेश में इनकी संख्या 200 से ज्यादा है, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। तीसरे महत्वपूर्ण एलान के तहत बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है।